



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2011/कार्तिक 10, 1933

No. 598]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2011/KARTIKA 10, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 791(अ).—उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 का 15) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 1 नवम्बर, 2011 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 19012/3/2007-एस.आर.]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2011

G.S.R. 791(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (15 of 2011), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2011, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 19012/3/2007-SR]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.